कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट–सोनभद्र ।

पत्रांक– 2178/रेनुकूट / 15–295 दिनांक,रेनुकूट,जनवरी, 10, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा आर0एस0रोड(सिधहवा) से जोगेन्द्रा वाया खजुरा मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 20.150 तक में निर्मित मार्ग के चौड़ीकरण एवं सृदृढीकरण से प्रभावित 14.5603 हे0 वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के संबंध में ।

(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–**FP/UP/ROAD/118819/2021)**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 2013/11–सी– **FP/UP/ROAD/118819/2021** लखनऊ दिनांक– 05.01.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 05.01.2020 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण कराते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव की 4 प्रतियॉ संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 05.01.2022 में इंगित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में पातन होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है किन्तु ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं है। अतः परियोजना में पातन होने वाले वृक्षों का व्यासवार व वैज्ञानिक नाम सहित सारांश प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षो की प्रजातिवार/व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल वनीकरण हेतु उपयुक्त होने संबंधी प्रमाण–पत्र संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
3	रोड चौड़ीकरण के प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, जो प्रभागीय वनाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है संलग्न करा दिया गया है ।

4	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–103 से 104 पर संलग्न लीज से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की आवशयकता न होने के कारण प्रस्ताव से पृथक करें तथा ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट भी करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 103 से 104 पर संलग्न लीज से संबंधित प्रमाण–पत्र को प्रस्ताव से पृथक कराते हुए भाग–2 के अतिरिक्त सूचना विवरण से डिलिट करा दिया गया है ।
5	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली 8.0003 हे0 गैर वनभूमि का क्षेत्रफल एवं खसरा सं0 गलत फीड किया गया है। अतः सही क्षेत्रफल 8.0003 हे0 एवं खसरा सं0–447 क मि फीड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(1) में सही खसरा संख्या व क्षेत्रफल फीड करा दिया गया है ।
6	ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detailके क्रमांक–16 से TSP and Special Plantation APO Format को डिलिट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail के क्रमांक–16 से TSP and Special Plantation APO Format को डिलिट करा दिया गया है ।
7	तीनों प्रस्ताव के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखों की अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः संशाोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल की पेन ड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल की पेन ड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न करा दिया गया है ।

संलग्नकः–उपरोक्तनुसार चार प्रतियों में ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः अधिशासी अभियन्ता, पी0.एम0जी0एस0वाई, खण्ड, लोक निर्माण विभाग,सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग ,रेनुकूट